

फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया

पत्रांक: 1602/सम्बद्धता/2006

दिनांक: 28/08/2006

सेवा में,

प्रबन्धक,

अखिल भाग्य महाविद्यालय,
रानापार, गोरखपुर।

विषय: प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक: 20.07.2006 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है:-

क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	डा0 सुनील कुमार श्रीवास्तव	प्राचार्य
2.	डा0(श्रीमती) रागिनी राय	प्रवक्ता हिन्दी
3.	डा0 संजय कुमार पाण्डेय	प्रवक्ता प्रा0 इतिहास
4.	डा0 अर्चना गोस्वामी	प्रवक्ता इतिहास
5.	श्री राम करन	प्रवक्ता राजनीतिशास्त्र
6.	डा0 बृजेश कुमार सिंह	प्रवक्ता समाजशास्त्र
7.	श्री गोविन्द शरण सिंह	प्रवक्ता भूगोल
8.	डा0 प्रमोद कुमार त्रिपाठी	प्रवक्ता मनोविज्ञान

1. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09, मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: 1. शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09, मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,


कुलसचिव
